

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लोहावट)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या : 54 / 2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>11-04-2022</p>	<p>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम/पोस्ट- शिकारपुरा तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.02.22 में (1) श्रीमती सुमित्रा पारीक पत्नी सुरज कुमार मिश्रा जाति ब्राह्मण हाल निवासी बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर बनाम तहसीलदार देचू में निर्णय दिनांक 06.07.2021 की सम्पूर्ण पत्रावली की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से जरिये पत्रांक 1375 दिनांक 07.04.22 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2022/1317 दिनांक 04.03.22 जरिये डाक स्पीड पोस्ट भिजवाई जा चुकी है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

